भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2846

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल

2846. श्री यूसुफ पठानः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जैविक खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जैविक उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजना कार्यान्वित की जा रही है। दोनों ही योजनाओं में जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक संपूर्ण सहायता पर जोर दिया जाता है। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं का मुख्य फोकस प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल सतत खेती प्रणालियों को बढ़ावा देना है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, खेत में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करने को सुनिश्चित करती हैं।

(ख): 2015-16 से अब तक 59.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत आ चुका है। 2023-2024 तक राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) (एमओवीसीडीएनईआर सहित) + पीकेवीवाई के तहत भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के तहत जैविक खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में कुल 31,500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है,जिसमें से 15,000 रुपये/हेक्टेयर

किसानों को ऑन फार्म एवं ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रदान किए जाते हैं,विपणन,पैकेजिंग,ब्रांडिंग,मूल्य संवर्धन आदि के लिए 4,500 रुपये/हेक्टेयर, प्रमाणीकरण एवं अवशेष विश्लेषण के लिए 3,000 रुपये/हेक्टेयर तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये/हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत,किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण,जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में कुल 46,500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये सहित किसानों को ऑफ-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए 32,500 रुपये/हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) एवं (ङ): जैविक उपज के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार की जैविक प्रमाणन प्रणालियाँ विकसित की गई हैं, जो नीचे दी गई हैं:

- निर्यात बाजार के विकास के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एनपीओपी योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा तृतीय पक्ष का प्रमाणन।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पीजीएस-इंडिया,एक-दूसरे की उत्पादन पद्धतियों का आकलन,निरीक्षण और सत्यापन करके पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के संचालन के बारे में निर्णय लेने में हितधारकों (किसानों/उत्पादकों सहित) को शामिल करता है।

पीकेवीवाई योजना के तहत मूल्य संवर्धन,विपणन और प्रचार-प्रसार की सुविधा के लिए 3 वर्षों में कुल 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के लिए पीकेवीवाई के तहत 3 वर्षों के लिए प्रमाणन और प्रशिक्षण तथा हैंडहोल्डिंग और क्षमता निर्माण के लिए क्रमशः 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। जबकि एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रमाणन के लिए 3 वर्षों में कुल 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य अपने क्षेत्र में या अन्य राज्यों के प्रमुख बाजारों में सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनियां, व्यापार मेले और जैविक महोत्सव आयोजित करते हैं।

लो.स.अता.प्र.सं.2846

अनुबंध - I

2023-2024 तक पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती एनपीओपी (एमओवीसीडीएनईआर सहित) + पीजीएस के तहत कवर किए गए कुल संचयी क्षेत्र का राज्यवार विवरण

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एनपीओपी	पीकेवीवाई के अंतर्गत पीजीएस
1	आंध्र प्रदेश	63,678.69	3,60,805
2	बिहार	29,062.13	31,783
3	छत्तीसगढ	15,144.13	1,01,279
4	गोवा	12,287.40	15334
5	गुजरात	6,80,819.99	10000
6	हरियाणा	2,925.33	-
7	हिमाचल प्रदेश	9,334.28	18748
8	झारखंड	54,408.20	25300
9	केरल	44,263.91	94480
10	कर्नाटक	71,085.99	20900
11	मध्य प्रदेश	11,48,236.07	74960
12	महाराष्ट्र	10,01,080.32	66756
13	ओडिशा	1,81,022.28	45800
14	पंजाब	11,089.41	6981
15	तमिलनाडु	42,758.27	32940
16	तेलंगाना	84,865.16	8100
17	राजस्थान	5,80,092.22	148500
18	उत्तर प्रदेश	66,391.34	171185
19	उत्तराखंड	1,01,820.39	140740
20	पश्चिम बंगाल	8,117.80	21400
21	असम	27,079.40	4400
22	अरुणाचल प्रदेश	16,537.53	380
23	मेघालय	29,703.30	900
24	मणिपुर	32,584.50	600
25	मिजोरम	14,238.30	780
26	नागालैंड	16,221.56	480
27	सिक्किम	75,729.78	63000
28	त्रिपुरा	20,481.36	1000
29	जम्मू और कश्मीर	34,746.75	5160
30	पांडिचेरी	21.51	-
31	दिल्ली	9.60	-
32	लद्दाख	-	10480
33	दमन और दीव	-	642
34	दादर और नगर हवेली	-	500
35	अंडमान और निकोबार	-	14491
कुल		**44,75,836.90**	**14,98,804**
कुल योग (एनपीओपी + पीजीएस)		**59,74,640.90**	

स्रोत : एपीडा + पीजीएस

*****